न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 03/2024 (आ.नि.)
GCMS NO : 2024/3

अनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सायरा, जिला उदयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता नाना भील, निवासी बांसलिया तह. गोगुन्दा।
2. श्रीमती गंगा पत्नी गणेशलाल भील, निवासी बांसलिया तह. गोगुन्दा।
3. श्री धन्नालाल पिता तुलसीराम भील, निवासी बांसलिया तह. गोगुन्दा।
4. श्रीमती छगनी पत्नी धन्नालाल भील, निवासी बांसलिया तह. गोगुन्दा।

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत् निरस्त कराये जाने आंवटन आदेश दिनांक 09.04.2013 अन्तर्गत प्रकरण सं. 24/13

*** निर्णय ***

दिनांक – 10-10-2024

प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण ने आवंटन हेतु कृषि भूमि सम्यक स्तर पर आवेदन किया था जिस पर आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के आदेश कमांक 74 दिनांक 09.04.2013 द्वारा विपक्षीगण को ग्राम तिरोल, तहसील सायरा को राजस्व ग्राम बांसलिया पटवार हल्का तिरोल तहसील सायरा तत्कालीन तह. गोगुन्दा के आराजी नम्बर 3667/457 रकबा 0.3700 है. में से 0.3000 है. भूमि किस्म बारानी तृतीय का आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भमि का विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में एक नामान्तरण संख्या 459 खोला गया था। उक्त आवंटन/नियमन शर्तो की पालना नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। वर्तमान में आवंटन के उपरान्त खसरा सख्या 3667/457 का नवीन आराजी संख्या 3742/457 रकबा 0.3000

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

है. दर्ज हुआ है जो कि विधि सम्मत नहीं है क्योंकि विपक्षीगण जो कि गैर खातेदार है का मौके पर कोई आधिपत्य नहीं है एवं इस आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। जिस स्थान पर आवंटन होना बताया गया है इस भूमि पर आवंटी गैर खातेदारान का मौके पर कोई आधिपत्य नहीं है एवं उक्त आधार पर आलोच्य आवंटन आदेश निरस्त कर अपास्त किये जाने योग्य है। आवंटित भूमि कभी भी विपक्षीगणों के आधिपत्य में नहीं रही न ही आज दिनांक को विपक्षीगण का कोई कब्जा ही है तथा आधिपत्य के अभाव में किया गया आवंटन विधि सम्मत नही होकर अपास्त फरमाये जाने योग्य है। विपक्षीगण भी उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु सहमत है एवं आप श्रीमान ऐसे आवंटन को निरस्त एवं अपास्त करने हेतु विधि द्वारा सक्षम एवं समर्थ होने के कारण प्रकरण आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अन्य बिन्दु वक्त बहस निवेदन किये जावेगे। अतः प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम बांसलिया की आराजी संख्या 3667/457 के संबंध में दिनांक 09.04.2013 को विपक्षीगण के नाम किया गया कृषि भूमि का आवंटन निरस्त फरमाये जाने तथा एतद अनुसार आवंटित भूमि जिसके वर्तमान खसरा संख्या 3742/457 है को सिवाय चक दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो कि माननीय आप न्यायालय उचित समझे प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 का मौके पर कोई आधिपत्य नहीं होना बताया एवं आवंटन विधि सम्मत नहीं होकर विपक्षी स्वंय भी आवंटन निरस्त कराने हेतु सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का अध्ययन किया। ग्राम तिरोल, तहसील सायरा को राजस्व ग्राम बांसलिया पटवार हल्का तिरोल तहसील सायरा तत्कालीन तह. गोगुन्दा के आराजी नम्बर 3667/457 रकबा 0.3700 है. में से 0.3000 है. भूमि किस्म बारानी तृतीय को आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा के आदेश क्रमांक 74 दिनांक 09.04.2013 द्वारा विपक्षीगण को आवंटन किया गया था। प्रार्थी का तर्क है कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नहीं है। आंवटन कमेटी के समक्ष तथ्यों को छुपाकर आवंटन करवा लिया गया है। पत्रावली के साथ पटवारी तिरोली की जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न कर रखी है उसमें पटवारी तिरोली की रिपोर्ट अनुसार " **मौके पर उपस्थित प्रार्थी, गैर खातेदार एवं मौतबीरान ने जाहिर किया कि उक्त खसरा नम्बर**

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

3742/457 रकबा 0.3000 है. में बाबुसिंह पिता मकनसिंह का कब्जा है तथा आवण्टी/गैर खातेदार का मैके पर कब्जा नहीं है। तथा आवण्टन शर्तो की पालना नहीं की गई है। गैर खातेदार ने शपथ पत्र पेश कर उक्त संदर्भ में सहमति व्यक्त की है।" इसके साथ ही पत्रावली में गैरखातेदार विपक्षी संख्या 1 से 4 का एक शपथ पत्र दिनांक 13.02.2022 की छांया प्रति भी पेश कर रखी है जिसमें विपक्षीगण स्वंय द्वारा शपथ पत्र में अपनी बिलानाम भूमि के साथ उक्त आवंटीत भूमि गलती से आवंटन होना एवं उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं होने का कथन कर रखा है साथ ही गैर खातेदारी से पुनः बिलानाम दर्ज करने पर सहमति भी व्यक्त कर रखी है। अतः शपथ पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई कब्जा नहीं है एवं गलती से आवंटन हो गई है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की गई है। गलत आवंटन होने से आवण्टन निरस्त योग्य पाया जाता है। अतः प्रकरण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू.राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा द्वारा प्र.स. 24/13 भूमि आवंटन दिनांक 09.04.2013 से राजस्व ग्राम तिरोल, तहसील सायरा के राजस्व ग्राम बांसलिया पटवार हल्का तिरोल तहसील सायरा तत्कालीन तह. गोगुन्दा के आराजी नम्बर 3667/457 रकबा 0.3700 है. में से 0.3000 है. भूमि किस्म बारानी तृतीय का विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है एवं कथित भूमि को राजस्व अभिलेख मे बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सायरा को निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)